राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर

ज्ञापन का प्रारूप

दिनांक : 10.11.2017

माननीया मुख्यमंत्री महोदया
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर।

द्वारा : श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, उपखण्ड.....जिला..... ।

विषय : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य में भी केन्द्र के समान 01 जनवरी 2016 से लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2017 को अधिसूचना जारी कर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य में दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से लागू की है। राज्य सरकार एवं कर्मचारियों के मध्य पूर्व में हुए समझौतों के अन्तर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के समान तथा एक ही तिथि से वेतन–भत्ते दिए जाने चाहिए जबकि उक्त जारी अधिसूचना इन समझौतों एवं राज्य की परम्पराओं के पूर्णतया विपरीत है। इस अधिसूचना में छठें वेतन आयोग में रही विसंगतियों को भी दूर नहीं किया गया है जिससे राज्य के समस्त कर्मचारियों सहित शिक्षकों में भारी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है साथ ही अनुसूची 5 में संशोधन कर व्याख्याता संवर्ग के वेतनमान में भारी कटौती कर उनका न्यून वेतन पर वेतन निर्धारण किया गया है। संगठन ने सातवें वेतन आयोग की अधिसूचना में रही कमियों के कारण निम्न माँगों को लेकर अपना आन्दोलन प्रारंभ किया है :–

1. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य में भी केन्द्र के अनुरूप समस्त परिलाभों सहित 01 जनवरी 2016 से लागू कर एरियर का नगद भुगतान किया जाए।
2. शिक्षकों के सभी संवर्गों का वेतनमान केन्द्र के शिक्षकों के समकक्ष निर्धारित कर सातवें वेतन आयोग में स्थिरीकरण (Fixation) फिक्शेसन किया जाये।
3. अनुसूची 5 के अन्तर्गत किये गये मूल वेतन कटौती को तत्काल निरस्त कर व्याख्याता संवर्ग के साथ हुए अन्याय से राहत प्रदान की जाये।
4. नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये।
5. पी.पी.पी. मोड में विद्यालय देने की योजना पर तत्काल रोक लगाई जाये।

आन्दोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत आज दिनांक 10 नवम्बर 2017 को संगठन के कार्यकर्ता उपशाखा स्तर पर अधिसूचना की होली जलाते हुए धरना–प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं।

संगठन का विनम्र आग्रह है कि शीघ्र ही उक्त न्यायोचित्त माँगों को तत्काल स्वीकार कर इनके क्रियान्वयन के आदेश जारी कराएं अन्यथा विवश होकर संगठन को अपना आन्दोलन उग्र करना पड़ेगा।

भवदीय

अध्यक्ष
उपशाखा.....
जिला.....

मंत्री
उपशाखा.....
जिला.....